अनुस्मारक पत्र/समयबद्ध

संख्या- 9/2017/13(1)/2007 /का-1-2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2017

विषय :-सरकारी सेवकों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 3/2017/13(1)2007 /का-1-2017, दिनांक 06.07.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा अपने-अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की नियमानुसार कार्यवाही दिनांक 31.07.2017 तक पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही की सूचना शासनादेश दिनांक 26.10.1985 में निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी, परन्तु उक्त वांछित संकलित सूचना अभी तक कार्मिक अनुभाग-1 को उपलब्ध नही करायी गयी है ।

3- अत: मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी स्क्रीनिंग की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराकर अपने-अपने विभाग की अद्यतन सम्पूर्ण संकलित सूचना, **संलग्न प्रारूप पर** (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी) कार्मिक अनुभाग-1 को **दिनांक 15.09.2017 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय,

राजीव कुमार

मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु की गई स्क्रीनिंग से सम्बन्धित वार्षिक सूचना
वर्ष 200 -20

क्रमांक	कार्मिकों की श्रेणी	50 वर्ष की आयु प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे गये कार्मिकों की कुल संख्या	कार्मिकों की कुल संख्या जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनिवार्य सेवावनिृत्ति के योग्य समझे जायं	अनिवार्य रूप से सेवानिृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या	स्क्रीनिंग कमेटी के विचार से सहमत न होने के संक्षिप्त कारण	स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखे बिना नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की कुल संख्या, यदि कोई हो	अन्य विवरण यदि कोई हो,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष-							
2	पी0सी0एस0 संवर्ग-							
	(क) श्रेणी "क" के अधिकारी-							
	(ख) श्रेणी "ख" के अधिकारी-							
3	पी0सी0एस0 संवर्ग से भिन्न अधिकारी-							
	(क) श्रेणी "क"							
	(ख) श्रेणी "ख"							
4	श्रेणी "ग"							
5	श्रेणी "घ"							
	योग							

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।